

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 18/06/18

क्रमांक रीडर/2019/

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हेराजराम पुत्र मोडाराम  
जाति जाट निवासी  
बेरीवाला तला तहसील व  
जिला बाड़मेर।

1 पुरोदेवी पत्नी भूराराम 2 गिरधारी पुत्र भगवानाराम 3  
जुंजाराम पुत्र आईदानराम 4 गुसाईराम पुत्र रामाराम 5 धुड़ी  
पत्नी चिमाराम 6 उदी पत्नी गोकलाराम 7 महिपाल पुत्र  
खरथाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 92/2018

दिनांक- 18/06/18

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरीवाला तला पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला  
बाड़मेर के खसरा संख्या 938 रकबा 05.14 बीघा, खसरा संख्या 1209 रकबा 07.02 बीघा व  
खसरा संख्या 1463/934 रकबा 17.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी  
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर

पक्षकारान्न की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे

एक हजार पंच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया

जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 18/06/18

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1336-35  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हेराजराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पुरोदेवी पत्नी भूराराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर